

बजट (BUDGET)

(1)

बजट किसे कहते हैं। अर्थ बजट के मुख्य सिद्धान्त क्या हैं ?

What is Budget. What are the main principles of sound budget making.

बजट शब्द का उद्गम फ्रांसीसी भाषा के शब्द Bougette से हुआ है जिसका अर्थ चमड़े का एक छोटा सा थैला या डिब्बा है। जिसमें वित्त मंत्री अपने वागजात रखता है। इस शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में सन 1733 ई० से होने लगा जबकि आय और व्यय की योजना को प्रस्तुत करने की व्यवस्था हुई। जिसे बजट उपारम्भान के नाम से पुकारा जाता था। सन 1803 ई० की फ्रांस की द्वितीय शब्दावली में भी इसका प्रयोग होने लगा जबकि इसमें आय और व्यय के विवरण के रूप में प्रयोग में लाने लगे। परन्तु आजकल बजट का अर्थ केवल थैले या विवरण से नहीं लिया जाता, वरन् उस थैले के अन्दर की वस्तुओं और विवरण की मुख्य मदों से लगाया जाता है।

बजट की परिभाषा के संबंध में विद्वानों में मते भिन्न नहीं हैं। आर्थिक शब्दों की तरह बजट की अनेक परिभाषाएँ देवती को मिलती हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ इस प्रकार हैं।

J. Jaze जी-जेज के अनुसार "आधुनिक शासन में बजट एक आविष्कारणी है और शक्ति राजकीय कार्यों तथा व्ययों का एक अनुमान है। यह कुछ विशेष प्रकार के व्ययों और कार्यों के लिए, धन व्यय करने के लिए और उनको व्यय करने का आदेश है।"

रीन स्टोर्न (René Stouffer) :- "सरकार का बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें सरकारी आय और व्यय की एक वार्षिक अनुमोदित योजना रहती है।"

लेनोय ब्युलियौ (Leonoy Beaulieu) :- के अनुसार "A Budget is a statement of the estimated receipts and expenses during a fixed period" (बजट एक निश्चित अवधि के अर्न्तगत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण है।)

भारतीय संविधान के अनुसार बजट का अर्थ एक ऐसा शासना विधि विवरण है जिसमें आगामी वर्ष के सभी प्राकृतिक राजस्व और व्यय के अर्न्त में लाभ पिछले वर्ष की विविध स्थिति की पुनरीक्षण नये तरीके से करके प्रस्ताव तथा पूँजीगत व्यय की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्ताव भी मौजूद रहते हैं।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बजट वह विवरण है जिसमें वित्त मंत्री द्वारा संसद के सामने पिछले वर्ष के विवरण के आधार पर आगामी वर्ष में सार्वजनिक व्यय की रिकॉर्ड तथा आगामी वर्ष

के कार्यक्रम और काम बसाने- पठाने के अपने नये प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।
बजट से संबंधित ऊपर लिखित परिणामों का विश्लेषण करने पर उनकी निम्न विशेषताएँ प्रकट होती हैं :-

(2)

- (i) बजट सरकारी नीति नीतियों की प्रतिबिम्बित करने का एक प्रशासनिक प्रयास होता है।
- (ii) यह पिछले वर्ष में वार्डपालिका द्वारा संचालित प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्यों का एक संतुलित व्यौरा होता है।
- (iii) यह सरकारी क्रिया बलापों के संचालन के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने तथा उसे खर्च करने का एक व्यवस्थित मासिका होता है।
- (iv) अवस्थापिका के समस्त स्वीकृति के लिए पेश किए जाने के कारण बजट नियमित रूप से वार्डपालिका की अवस्थापिका के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बोध कराते रहने का एक प्रभावी माध्यम है।
- (v) अवस्थापिका की स्वीकृति मिलने के पश्चात् ही बजट की उलकी सतत पुर्कर का प्रमाण माना जा सकता है।

बजट निर्माण के मुख्य सिद्धान्त (Important Principles of the Budget) :- बजट-यूक्ति विधीय और कार्य प्रबन्ध का एक प्रभावकारी साधन है, इसलिए उसे बजट निर्माण के सिद्धान्तों के अनुरूप होना चाहिए। बजट निर्माण के कोई नये तुल्य सिद्धान्त नहीं हैं किन्तु प्रमुख देशों के लम्बे अनुभव के आधार पर निम्न लिखित सिद्धान्त बताये गये हैं :-
साधारणतः बजट निर्माण के सिद्धान्तों में निम्नांकित प्रमुख सिद्धान्त हैं :-

- (i) बजट संतुलित होना चाहिए (Budget should be a balanced one) :- बजट की आवश्यक रूप से संतुलित होना चाहिए। प्रत्येक आय राशि के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुमानित आय से व्यय कभी भी अधिक नहीं होना चाहिए। जब किली बजट के राजस्व और व्यय की राशियाँ बराबर या लगभग बराबर होती हैं तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। यदि बजट आकलित राजस्व से कम होता है तो उसे मुनाफे का बजट कहते हैं।

लोक विज्ञान जिज्ञा विज्ञान से राजस्व के लचीलेपन के आधार पर निम्न होता है। परन्तु कजकी भी एक सीमा है। वैसा राज्य जो अनुमानित आय से व्यय ही अधिक करता है तो अन्ततोगत्वा वह राज्य दिवालियापन की ही प्राप्त करेगा।


श्री पी. के. वत्रल के अनुसार " बजट का संतुलित होना विधीय स्थिति की पहली शर्त है और विधीय प्रशासन में इसका प्रायः वही स्थान है जो वार्डपालिका प्रशासन में कानून और व्यवस्था बनाये रखने का है। असंतुलित बजट में कभी न कभी निवेशकों का विश्वास कमजोर हो जायेगा और मुद्रा स्फीति आने का भय रहेगा जिससे निवेश कम करने से देश में अवस्था फैल जायेगी।

(i) अनुमान नकद आधार पर बनाए जाए (Estimates should be on each basis) :- एक ठोस बजट प्रणाली की दूसरी आधारभूत विशेषता यह है कि उसका प्राक्कन नकद आधार पर होना-चाहिए। बजट का नकद आधार यह है कि आय और व्यय की राशि वैसी हो जो विभिन्न वर्ष के अन्दर प्राप्त हो और विभिन्न मर्कों में जिसका स्वर्ण हो। यहाँ कुछ ऐसे कर निश्चित किए जाने पर भी जिसकी वसूली आगामी वर्षों में किए जाने की बात होती है, नकद बजट के अन्तर्गत नहीं आते। नकद छह वर्ष में व्यय करने के लिए उपलब्ध धन राशि को ही कर सकते हैं। नकद बजट निर्माण की प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भारत में प्रचलित है।

नकद बजट से श्रुति प्राप्त यह है कि वर्ष पूरा होने ही लेव-देन ठीक-ठीक हिसाब बन जाता है। श्री पी.के. बसल के अनुसार "नकदी के आधार पर अनुमान लगाने का एक लाभ यह है कि शार्विक और वार्षिकों की माँग एवं दायित्व के आधार पर पैसा खर्च किए जाने के लेखाओं की अपेक्षा जल्दी बन्द किया जा सकता है।" परन्तु इसका दोष यह है कि इससे वास्तविक अवस्था प्रकट नहीं होती।

(ii) पूँजी और वार्षिक आय का अन्तरा अलग-अलग होना-चाहिए (Revenue and Capital Expenditure should be kept separate) :- बजट निर्माण का तीसरा प्रमुख सिद्धांत यह है कि उल्लेखित धन, वार्षिक आय तथा स्वर्ण के अन्तरे को अलग-अलग दिखलाना-चाहिए। बजट के दो अलग-अलग भागों में वार्षिक आय तथा विषयक आय-व्यय का उल्लेख होना-चाहिए। यदि प्रति वार्षिक आय तथा आकस्मिक आय-व्यय को अलग-अलग नहीं रखा जाता है तो इसमें सम्पूर्ण विभिन्न धन अस्पष्ट तथा उपोत्पादक हो जायेगा। वैसी दशा में-पाण्डू स्वर्ण पूँजीगत धन से पूरा दिया जायेगा। स्पष्ट है कि दोनों का हिसाब अलग-अलग होना-चाहिए इसके प्रति वार्षिक तथा पूँजी संबंधी आय-व्यय के विषयों का पना लगना है।

(iv) बजट संकलन की शुद्ध आय के आधार पर बनाया जाए (Budgeting should be done on the basis of gross and not net income) :- एक बजट निर्माण का होल प्रणाली का चौथा आधारभूत सिद्धांत यह है कि उसे संकलन की शुद्ध आय के आधार पर बनाए जाए। जिसमें विषयों का उल्लेख स्वर्णगत होना-चाहिए। मात्र निष्कर्षों का उल्लेख पर्याप्त नहीं है। स्वर्णगत बजट में आय-व्यय का पूरा विवरण होना-चाहिए। वेसल यह दिखलाना कि अमूर्क आय होगी और अमूर्क व्यय होगा। कभी भी युक्ति-संगत नहीं कहा जा सकता। यदि आय की बात होती है तो उल्लेख यह दिखलाना जाना-चाहिए कि आय कैसे और क्यों से होगी। इसी-प्रकार व्यय की बात होती है तो उल्लेख लाभ यह-धर्या होनी-चाहिए कि किस किस विषयों पर होगा। इस नियम की अवहेलना



से आर्थिक विधि संक्षिप्त होती है, आर्थिक नियंत्रण में दीक्षापन आता है और लेखा विवरण अपूर्ण रहता है। (4)

(V) अनुमान तथा संभव हो (Estimating should be as far as possible exact) :- अनुमान तथा संभव हो। न अल्पानुमान होना चाहिए और न ही अवानुमान। रकम के अल्पानुमान का दुष्परिणाम यह होता है कि व्यय को पूरा करने के लिए जनता पर भारी कर लगाया जाता है। अवानुमान होने से डिमान्ड का स्तर कठिनाई होती है और पूरा बजट बेकार हो जाता है। अतः अनुमान तथा संभव वास्तविकता के अधिक से अधिक निकट होना चाहिए। इसके लिए पिछले तीन वर्ष के आय-व्यय की शक्तियों को लेकर उनके आधार पर सही अनुमान किया जा सकता है।

(VI) आय-व्यय के प्रस्ताव लेखा के ढंग के होने चाहिए (The format of estimates should correspond to the format accounts) :- एक ही ढंग से बजटीय प्रस्ताव का ढंग मध्य पूर्ण सिद्धांत यह है कि इलाका प्रस्ताव लेखा के ढंग के होने चाहिए। इसमें तीन बातें हैं - (I) बजट सुममता से तैयार होता है (II) नियंत्रण सरल होता है तथा (III) अच्छे परीक्षण और लेखन में आसानी होती है। भारत में बजट के स्वरूप का निर्धारण विभिन्न मंत्रियों द्वारा अनुमान समिति से आवश्यक मशविरा करने और परामर्श लेने के बाद ही होता है।

(VII) शक्ति संक्रमण का नियम (The rule of lapse) :- बजट निर्माण का सातवां और अन्तिम सिद्धांत शक्ति संक्रमण का नियम है। शक्ति संक्रमण नियम का अर्थ है कि जो प्रस्तावित तथा अनुज्ञात शक्ति विभिन्न वर्ष की अवधि के भीतर रकम नहीं होती है वह संक्रमित हो जाती है, उसे आगामी वर्ष के लिए नहीं रखा जा सकता। वह राजकोष का धन ही जाता है। विभागों को सुरक्षित शक्ति रखने का अधिकार नहीं है। इसके लिए उन्हें वैधानिक अनुज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है।

प्रभावकारी विभिन्न नियंत्रण की दृष्टि से शक्ति संक्रमण का नियम आवश्यक है। इसके अभाव में सरकारी विभाग विधानमंडल के नियंत्रण से स्वंत्र हो जा सकते हैं। परन्तु आर्थिक विनियोज की दृष्टि से यह असुविधाजनक है। चूंकि प्रदत्त शक्ति संक्रमित न हो जाए इसलिए विभिन्न वर्ष के अन्तिम दिनों में विभागीय अधिकारी इच्छा और मूँद कर उपयोग करते हैं। जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है।

बजट निर्माण में वास्तविकता से कुछ ऊपर उठकर व्यय में अनुपालन किया जाय तो आवश्यकता अनुसार लागू का बजट बन सकता है। विश्व के अधिकांश देशों की बजटीय प्रवृत्तियों में सिद्धांतों से ऊपर उठकर व्यय में अनुपालन से देखा दिन दूनी और रात-चाँगुनी के शक्ति पर बहुत बजर आ रहा है जिसकी यहाँ भी आवश्यकता है।

डॉ० राजू मौनी

विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान
डी०के० बापेज, डुमरांव
दिनांक - 17/07/2020